भारतः एक कल्याणकारी राज्य

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
17	भारतः एक कल्याणकारी राज्य	समानुभूति, आलोचनात्मक सोच, भावनाओं से निबटना, समस्या समाधान	यह समझना कि भारत किस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य है?

अर्थ

भारत का एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णन किया जाता है। इसलिये प्रश्न उठता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य सरकार/शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है। कल्याणकारी राज्य अवसरों की समानता तथा सम्पदा के समान वितरण पर आधारित होता है। इस व्यवस्था में, नागरिकों का कल्याण राज्य का उत्तरदायित्व होता है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारत के संविधान में लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकार एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक स्वतंत्रताओं और आधारभूत अधिकारों का उपभोग कर सकें। ये नागरिक स्वतंत्रतायें देश के किसी भी अन्य कानून से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। कुछ मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं - विधि के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा शान्तिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके विपरीत नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त

भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि यदि सभी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह लागू भी कर दिया जाता है तब भी भारत के लोगों को बिना सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किये भारत के लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग-IV में नीति निदेशक सिद्धान्तों को शामिल कर संविधान निर्माताओं ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाया।

नीति निदेशक सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषतायें

- संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान तथा गाँधी जी के दर्शन की प्रेरणा से शामिल किये गये।
- ये राज्य के लिये दिशा निर्देश है तथा न्यायसंगत नहीं हैं। अर्थात लागू न होने पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- इन सिद्धान्तों का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिनमें सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।
- इन सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

नीति निदेशक सिद्धान्तों के प्रकार

संविधान में वर्णित नीति निदेशक सिद्धान्त विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हें निम्न वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त:
  राज्य सुनिश्चित करेगा-
  (i) आजीविका के समुचित साधन
  (ii) भौतिक संसाधनों का उचित वितरण
  (iii) स्त्री व पुरूषों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन
  (iv) 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
  (v) बच्चों, महिलाओं व पुरूषों की शोषण से रक्षा।
- गाँधीवादी सिद्धान्त-अहिंसक समाज व्यवस्था को बढ़ावा देना, सभी वर्गों का कल्याण तथा मादक पदार्थों का निषेध, गौरक्षा आदि।
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त: पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा आपसी बातचीत, समझौते या मध्यस्थता से करना।
- अन्य सिद्धान्त : इसमें शामिल हैं, (i) ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा (ii) वन व वन्य प्राणियों की रक्षा (iii) सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकारों में सम्बन्ध

नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य भारत को एक उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में प्रति स्थापित करना है। इन दोनो के बीच अन्य अन्तर इस प्रकार से है; प्रथम: नीति निदेशक सिद्धान्त न्यायसंगत नही हैं जबकि मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त राज्य को नीति निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये कुछ निर्देश या दिशा निर्देश हैं जिन्हें राज्य को कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये क्रियान्वित करना चाहिये। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित हैं तथा राज्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये बाध्य है। नीति निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं किन्तु दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं क्योंकि संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने के लिये दोनों आवश्यक है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन

"सर्व शिक्षा अभियान" भारत सरकार का एक विशाल कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नीति निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया गंभीर कदम है।

समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकार इन सिद्धान्तों को लागू करती रही हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का क्या उद्देश्य है?

प्र. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।

प्र. सरकार द्वारा क्रियान्वित किन्ही तीन नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।